न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 9/2015 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता
   विक्रेता मैसर्सः— केशव प्रोविजन स्टोर, गांधी तिराहा, बस स्टैण्ड, दौसा।
2. श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री मुरलीधर जैन
   मालिक मैसर्सः— मूलचन्द मुरलीधर एण्ड कम्पनी, मानगंज दौसा।
3. श्री जितेन्द्र धाभाई पुत्र श्री पुशा राम धाभाई नोमिनी मैसर्सः— रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, प्लॉट नं0 एफ 849(ए) भारत गैस गोदाम के पास, रोड नं0 14, वीकेआई, जयपुर।
4. मैसर्सः— रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, गोविन्दपुर बावडी, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा बूंदी रोड, पोस्ट तालेडा, बूंदी (राजस्थान)।

— अभियुक्तगण—

जूर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 व 2 स्वयं उपस्थित।
: श्री मक्खन लाल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 व 4 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांक 01.06.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 08.10.2014 को दोपहर बाद 05:30 बजे मैसर्स केशव प्रोविजन स्टोर गांधी तिराहा, बस स्टैण्ड, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विकेता श्री अनिल कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ का लाइसेन्स न होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विकेता की दुकान में एक रैक में करीबन 20 बोतल 500 एमएल पैकिंग में पैक रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (महाकोष) आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी में मिलावट का शक होने पर इनमे से नमूने की जांच हेतु 4 मूल पैक बोतल 500 एमएल

न्याय निणय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (महाकोष) खरीदी। जिसकी कीमत 180 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

यह है कि चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (महाकोष) की मूल बोतल पर चिपकाकर बोतलों को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलो पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–932 गोंद से चिपकाकर बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्.लय द्वारा दिनांक 09.10.2014 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहा जमा करवाये।

यह है कि नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 09.10.2014 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 10.10.2014 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (महाकोष) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1595/एक्ट/2014/1143 दिनांक 16.10.2014 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (महाकोष) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषी को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण में लगाये गये आरोपो को पढकर सुनाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ महाकोष ब्राण्ड रिफाईण्ड सोयाबीन तेल के लेबल पर **List of Ingredients** अंकित नहीं किये जाने से मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैसर्स केशव एण्ड कम्पनी को महाकोष तेल हमने जरिये बिल सं0 2126 दिनांक 13/9/2014 को विक्रय किया है। उक्त महाकोष ब्राण्ड रिफाईण्ड सोयाबीन तेल का निर्माता एवं पैकेजिंगकर्ता मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमि0 गोविन्दपुर बावरी, रीको इण्डिस्ट्रयल एरिया, कोटा बूंदी रोड, पोस्ट तालेडा, बूंदी(राजस्थान) है। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 ने उक्त महाकोष ब्राण्ड रिफाईण्ड सोयाबीन तेल निर्माता एवं पैकेजिंगकर्ता के कार्यालय मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमि0 प्लाट नं0

न्याय निणय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

एफ –849(ए) भारत गैस गोदाम के पास, रोड नं0 14, वीकेआई, जयपुर से जरिये बिल नं0 9404292680 दिनांक 31/8/2014 को खरीद किया है। निर्माता कम्पनी ने जैसा व जिस हालत में माल प्रार्थी को विक्रय किया है, उसी हालत मे सील पैक्ड प्रार्थी ने विक्रय किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 व 4 द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ महाकोष ब्राण्ड रिफाईण्ड सोयाबीन तेल के लेबल पर अब List of Ingredients अंकित किया जाकर संशोधन कर लिया गया है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1595/एक्ट/2014/1143 दिनांक 16.10.2014 के उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (महाकोष) का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवचेन के आधार पर अप्रार्थी सं0 3 व 4 द्वारा खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (महाकोष) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 श्री जितेन्द्र धाभाई पुत्र श्री पुशा राम धाभाई नोमिनी मैसर्सः– रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, प्लॉट नं0 एफ 849(ए) भारत गैस गोदाम के पास, रोड नं0 14, वीकेआई, जयपुर पर 5000/–(अक्षरे पांच हजार रूपये), अप्रार्थी सं0 4 :– मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, गोविन्दपुर बावडी, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा बूंदी रोड, पोस्ट तालेडा, बूंदी (राजस्थान) पर 5000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये), शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 01.06.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा
दिनांकः– 01.06.2018

कमांक/ 9484-89

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता
   विक्रेता मैसर्सः– केशव प्रोविजन स्टोर, गांधी तिराहा, बस स्टैण्ड, दौसा।
4. श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री मुरलीधर जैन
   मालिक मैसर्सः– मूलचन्द मुरलीधर एण्ड कम्पनी, मानगंज दौसा।
5. श्री जितेन्द्र धाभाई पुत्र श्री पुशा राम धाभाई नोमिनी मैसर्सः– रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, प्लॉट नं0 एफ 849(ए) भारत गैस गोदाम के पास, रोड नं0 14, वीकेआई, जयपुर।
6. मैसर्सः– रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, गोविन्दपुर बावडी, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा बूंदी रोड, पोस्ट तालेडा, बूंदी (राजस्थान)।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official